सदस्यों के समान न हो, जिन्हें अपने मंत्रालय के कार्य तथा जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के अतिरिक्त भारी मात्रा में मंत्रिमण्डल तथा इसकी समितियों, संसद व इसकी समितियों आदि से संबंधित कार्य करना होता है। अतः ऐसे पदाधिकारियों के वैयक्तिक स्टाफ की हकदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों के मामलों में लागू किए जाने वाले मानदण्डों का संदर्भ दिए बिना, वास्तविक कार्यभार के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।

14. चूंकि इस कार्यालय-ज्ञापन का उद्देश्य इस विषय की नीति तथा अनुदेशों को केवल व्यापक दृष्टिकोण देना है अतः नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रावधानों के लिए समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यालय-ज्ञापनों को देखा जाना चाहिए।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे इसे सभी संबंधितों की जानकारी में ला दें।

(अजीत सिंह)
(एस० एस० बाली)
निदेशक (के०से०)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

Suvey by a Hong Kong Think-Tank

967. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI JALALUDIN ANSARI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a survey conducted by a Hong-Kong based think-tank which obtained over 300 responses to its queries, has found India to be one of the worst administered countries in this part of Asia; and

(b) if so, the details in this regard and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SH. R. JANARTHANAN): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

मंत्रियों के निजी स्टाफ के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले

968. **श्री अखिलेश दासः क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान केन्द्रीय मंत्रियों के निजी स्टाफ में नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन तथा कदाचार के कई मामले पाए गए हैं और ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय-वार ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केबिनेट सचिव ने भी इन तथ्यों से केन्द्रीय मंत्रियों को अवगत कराया है; और

(घ) मंत्रियों के निजी स्टाफ में ऐसे कार्मिकों की नियुक्ति का औचित्य क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जर्नादनन): (क) से (घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय, मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश, उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त के विधिवत् सत्यापन के उपरान्त, जारी करता है। यह मंत्रालय/विभाग विशेष का दायित्व है कि वह अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुर्विनियोजन तथा कदाचार के मामलों की छान-बीन करे। इस संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती। वैयक्तिक कर्मचारियों का चयन मंत्रियों के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है।

CISF persons working on Deputation in IOC

969. SHRI RAJNATH SINGH:
SHRIMATI MALTI SHARMA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the number of CISF persons who are on deputation in the Indian Oil Corporation for the last nine years and the number of persons who have been absorbed in the IOC for the last three years till date;

(b) the number of CISF persons who were on deputation basis as Vigilance